

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ14(Road)/2016/एफसीए/प्रमुखसं/ 4433

दिनांक: 6.12.2017

निमित्त : अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र पंचम तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर एच
अलीगंज, लखनऊ।

विषय :- Diversion of 2.1 ha. Of forest land in favor of Executive Engineer, Rajasthan
Agriculture Marketing Board, Division Tonk for Construction of missing link
(Dooni anwa road to Chandeli Mata ji temple). Under Forest Tonk, District
Tonk state of Rajasthan -reg. Online Proposal No. FP/RJ/Road/14903/2015

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 8B/Raj/06/43/2015/FC/580 दिनांक 09.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी/उप वन संरक्षक/ मुख्य वन
संरक्षक से प्राप्त सूचना के आधार पर बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्रमांक	आक्षेप का विवरण	पालना
1	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन स्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु (प्रभावित वन भूमि के दस गुना अवनत वन भूमि पर) उपलब्ध करायी गई 21.00 है० वृक्षारोपण स्थल की KML file के KML file में से केवल 15.00 है० भूमि ही वृक्षारोपण उपयुक्त पायी गई है। अतः दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु शेष 6.00 है० वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर उक्त स्थल की KML file उपलब्ध करायी जाए तदोपरान्त ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।	दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु शेष 6.00 है० वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर कुल 27 है० की KML file CD में संलग्न प्रस्तुत है। साथ ही GT Sheet & DGPS map को पार्ट II में अपलोड किया जाकर हार्ड प्रति संलग्न है।

संलग्न : हार्ड प्रति 1 किता

भवदीय

(ए० के० सिंह)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ०सी०ए०
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक/

क्रमांक/एफ/सम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (वन) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. उप वन संरक्षक, टोंक
4. अधिशासी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड टोंक (राज०)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ०सी०ए०
राजस्थान, जयपुर।